

22.3.23

उभय पक्ष उच्च उच्च पक्ष का करण-  
पुस्तक दारिद्र्य / प्रथम पक्ष के द्वारा कर्ष  
की कारिका-पार 145 से परिचित है  
आवेदन गीत।

उभय पक्ष के विरुद्ध  
अधिवक्ता को पुना तथा  
दारिद्र्य (स्तावेजों का  
अवलोकन किया।

पुनागत भूमि प्रथम  
पक्ष को खरीदगी के बाला  
से हासिल है जिसके अंश  
को उनीय पक्ष के द्वारा  
खरीद किया गया है। उक्त  
खरीदगी ब्योटा नागापुर  
काबनकारी अधिनियम  
के प्रावधानों के अन्तर्

| आदेश की क्र० सं०<br>और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर  | आदेश पर की गई<br>कारवाई के बारे में<br>टिप्पणी तारीख सहित |
|------------------------------|---|---|
| 1                            | 2   | 3   |
|                              | <p>बिना उपायुक्त के अनुमति के किया गया है। अतः विवादिन भूमि की खरीद एवं बिक्री CMA Act के प्रावधानों के अतिरिक्त है तथा प्रश्नगत विवाद उक्त खरीदगी जमीन के कारण है। अतः नियमन को प्रथम पक्ष के हित में रिया तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष घोषित करना है। यह आदेश द.प्र.स. की धारा 144(4) के तहत नोटिस निर्गम करने को निधि (अर्चना 23/5/23) से साठ दिनों के लिये प्रभावी होगा।</p> <p>वाद को कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>८/५/२३</p> |   |